



## कार्यालय पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

### प्रेस नोट

दिनांक- 20-04-2024

विषय:- पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा कमिश्नरेट वाराणसी के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों के साथ गोष्ठी की गई।

आज दिनांक 20-04-2024 को पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा कैम्प कार्यालय स्थित सभागार में समस्त राजपत्रित अधिकारी साथ गोष्ठी की गई। उक्त गोष्ठी में संयुक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय एवं अपराध श्री के. एजिलरसन, अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था श्री एस. चन्नप्पा सहित समस्त पुलिस उपायुक्त, अपर पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त व अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

गोष्ठी के दौरान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा निम्नांकित दिशा-निर्देश दिये गये –

1. लोकसभा सामान्य निर्वाचन को स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त तरीके से सम्पन्न कराने एवं आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन किये जाने हेतु अधिकारियों को अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी एवं तत्परता के साथ सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया।
2. पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया कि प्रत्येक थानों का निरीक्षण कर लोकसभा चुनाव की तैयारी की जानकारी ले लें, कोई शिथिलता कर रहा हो तो उस पर प्रभावी कार्यवाही भी करें।
3. लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत अवैध हथियारों/कारतूसों की धरपकड़ एवं अवैध शराब/मादक पदार्थ व उसके तस्करी पर भी प्रभावी अंकुश लगाने हेतु लगातार सघन चेकिंग किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

4. लम्बित एस.आर. केसेज एवं आरोपियों की वर्तमान स्थिति, गैंगेस्टर की कार्यवाही के बारे में जानकारी ली। वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।
5. पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा सभी को अपने-अपने क्षेत्रों में वाहन चेकिंग अभियान चलाने तथा तेज रफ्तार बाईकों, रैश ड्राइविंग करने वाले, क्षमता से अधिक सवारी बैठाने वाले, बिना नम्बर आदि पर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
6. पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा सार्वजनिक मार्गों/सड़को आदि पर अतिक्रमण के विरुद्ध समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया की अपने-अपने क्षेत्रों में अतिक्रमण के विरुद्ध सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए अभियान चलाकर अतिक्रमण को हटाये।
7. आम जनमानस से पुलिसकर्मी शालिनतापूर्वक व्यवहार करें, किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें। शिकायत प्राप्त होने पर पुलिसकर्मी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

**सोशल मीडिया सेल**  
**पुलिस आयुक्त,**  
**वाराणसी।**